

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं०:- 6323388 / पटना, दिनांक :- 01/10/2026

ग्रा०वि०-R-503/26/2026-Section-14-RDD-RDD

श्री कृष्णा राम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुरसंड (सीतामढ़ी) सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-450/अप०शा० दिनांक-16.03.2026 द्वारा 79,56,640/- (उन्नासी लाख छप्पन हजार छः सौ चालीस) रुपये के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप प्रतिवेदित है। उक्त आरोप में श्री कृष्णा राम के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 029/2026 दिनांक-05.03.2026 धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(बी) भ०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है।

2. प्रतिवेदित मामले की समीक्षा की गयी तथा सम्यक समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत संकल्प संख्या-5710481 दिनांक-04.06.2026 द्वारा श्री कृष्णा राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। प्रक्रियात्मक कारणों से निलंबन की प्रभावी तिथि के अंदर श्री कृष्णा राम के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोप पत्र गठित नहीं हो सका।

3. अतएव सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(7) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कृष्णा राम के निलंबन अवधि को अगले 04 (चार) माह के लिए विस्तारित किया जाता है।

4. निलम्बन की अवधि में श्री कृष्णा राम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- 6323388 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 01/10/2026

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/ पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/ श्री कृष्णा राम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैरिया (पश्चिम चम्पारण) सम्प्रति-निलंबित (मुख्यालय-उप विकास आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर)/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

स्पीड पोस्ट/

ई मेल